

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)  
सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर

क्रमांक / स्था/सुपरस्पेशिलिटी/स्व/2021

इन्दौर, दिनांक 14/8/2021

// कार्यालयीन आदेश //

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/2019/55-2 दिनांक 06.05.2020 द्वारा शा. स्व.म.गॉ.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित करने की रवीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. शासन द्वारा स्थापित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशिलिटी शैक्षणिक संवर्ग के लिए आदर्श सेवा नियम-2018 के अंतर्गत सहायक -प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 27.07.2021 एवं 28.07.2021 को आयोजित साक्षात्कार उपरांत चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित सहायक- प्राध्यापकों को उनके नाम के समुख दर्शाये गये विषय में सहायक प्राध्यापक सुपर स्पेशिलिटी के पद पर अनन्तिम (Provisionally) रूप से निश्चित वेतन रूपये 1,50,000/- प्रतिमाह (Monthly Lumpsum Fixed pay Rs. 1.50 Lakhs) पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित वर्णित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

| क्र. | सह/सहायक प्राध्यापक का नाम | श्रेणी           | विभाग                               |
|------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1    | डॉ. सुरजित सिंह धाकरे      | अन्य पिछड़ा वर्ग | सहायक प्राध्यापक यूरोलॉजी           |
| 2    | डॉ. मानस शर्मा             | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक यूरोलॉजी           |
| 3    | डॉ. विशाल किर्ति जैन       | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक यूरोलॉजी           |
| 4    | डॉ. राजा गुलफाम शेख        | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक न्युरोलॉजी         |
| 5    | डॉ. पंकज कुमार वर्मा       | अन्य पिछड़ा वर्ग | सहायक प्राध्यापक न्युरो सर्जरी      |
| 6    | डॉ. प्रशांत राज सिंग       | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक न्युरो सर्जरी      |
| 7    | डॉ. पियुष कुमार            | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक न्युरो सर्जरी      |
| 8    | डॉ. ईशा तिवारी             | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक नेफ्रोलॉजी         |
| 9    | डॉ. जय अरोरा               | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक नेफ्रोलॉजी         |
| 10   | डॉ. हेमंत नामदेव           | अन्य पिछड़ा वर्ग | सहायक प्राध्यापक सी.टी.वी.एस.       |
| 11   | डॉ. अंकुर गोयल             | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक सी.टी.वी.एस.       |
| 12   | डॉ. पियुष गुप्ता           | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक सी.टी.वी.एस.       |
| 13   | डॉ. आशिष तिवारी            | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक कार्डियोलॉजी       |
| 14   | डॉ. अभिषेक राठौर           | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक कार्डियोलॉजी       |
| 15   | डॉ. लोकेन्द्र रेकवाल       | अनुसुचित जनजाति  | सहायक प्राध्यापक कार्डियोलॉजी       |
| 16   | डॉ. सौरभ गुप्ता            | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक प्लास्टिक सर्जरी   |
| 17   | डॉ. जुबीन सुनाने           | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक प्लास्टिक सर्जरी   |
| 18   | डॉ. मनीष कुमार जोलेया      | अन्य पिछड़ा वर्ग | सहायक प्राध्यापक पिडियाट्रिक सर्जरी |
| 19   | डॉ. विनोद राज              | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक पिडियाट्रिक सर्जरी |
| 20   | डॉ. पुजा तिवारी            | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक पिडियाट्रिक सर्जरी |
| 21   | डॉ. निधी शर्मा             | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक आई एच वी टी        |
| 22   | डॉ. खुशबु लीखार            | अनारक्षित        | सहायक प्राध्यापक आई एच वी टी        |

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राईवेट प्रेविट्स) पूर्णतः निषेध होगा। इस आशय का नोटराईज़ड शपथ प्रस्तुत करना होगा।
4. वार्षिक वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।
5. चिकित्सा शिक्षक को 01 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 01 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे 06 माह का वेतन सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल संरक्षा में जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में वकाया राशी संबंधित से भु राजस्व की वकाया राशि की भौति वसुली योग्य होगी। इस वावत सम्यक रूप से रूपये 1000/- का स्टांपित बोंड ( नोटरी द्वारा सत्यापित ) कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
6. चयनित प्रत्याशी को शासकीय महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा / अशासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने से पुर्व चिकित्सा महाविद्यालय / शासकीय सेवा / अशासकीय सेवा से त्याग पत्र देना होगा। साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 04 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर विना किसी कारण बताए सेवा समाप्त कर सकेगी।
7. चयनित प्रत्याशी को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय समय पर सोपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। अवकाश आचरण एंव अर्धवार्षिकीय के संबंध में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। शेष शर्त मध्य प्रदेश सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित है वे लागू होगी।
8. आपकी वरिष्ठता संरक्षा की वरिष्ठता कमानुसार ही रहेगी।
9. एक बार सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संरक्षणों को स्थानांतरित नहीं होगी।
10. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

11. उपरिथिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र सहित) उपाधियां एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित आयाप्रतियां स्वप्रमाणित कर जमा करना होगी।
12. चयनित प्रत्याशी के विरुद्ध म.प्र. शासन एतद द्वारा राज्य शासन द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के नियम मे उल्लेखित दशाओं मे अनुशानात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
13. चयनित प्रत्याशी का पी.एम.टी./ युजी/ पीजी/ सुपर स्पेशिलिटी परीक्षा मे अवैध रूप से चयन संबंधित प्रकरण मे किसी स्तर पर कार्यवाही प्रचलन/ लंबित नहीं होने का सत्यापन देना होगा, इसके पश्चात ही वेतन आहरण होगा। यदि चयनित प्रत्याशी उपरोक्त परीक्षाओं मे संलिप्त/ दोषी पाये जाते हैं तो नियुक्ति स्वर्वेव निरस्त मानी जावेगी।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पूलिस वेरिफिकेशन की प्रत्याशा मे की जाती है। भविष्य मे पूलिस वेरिफिकेशन/ चरित्र सत्यापन के पश्चात प्रतिकुल तथ्य प्राप्त होने पर सेवाये समाप्त की जाने की कार्यवाही नियमानुसार कि जावेगी।
15. पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधित समीचिन नियमों एवं भविष्य मे नियुक्तियों के लिये शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/ पदोन्नतियों रहेगी।
16. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. आपकी नियुक्ति सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
18. संस्था मे नियुक्त किसी भी चिकित्सा शिक्षक को राजनैतिक अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों मे भाग लेने की अनुमति नहीं है।
19. सेवा अवधि मे नियुक्त उम्मीदवार के कदाचरण संबंधी कार्यवाही म.प्र. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक रीक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018. के अंतर्गत की जावेगी।
20. यह नियुक्ति म.प्र. उच्चन्यायालय मे अ.पि.वर्ग के आरक्षण के संबंध मे लंबित याचिका मे पारित अंतिम ओदश के अध्यादीन रहेगी।

//

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शा.स्व.म.गौ.समृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 14/8/2021

पृ.क्रमांक /12303-II/ स्था/ सुपरस्पेशिलिटी/ स्व/ 2021

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, विधित्सा शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अध्यक्ष कार्यपरिषद शासकीय स्वशासी म.गौ.समृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
4. संचालक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर
5. प्रभारी संचालक सुपर स्पेशिलिटि अस्पताल इन्दौर।
6. अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड स्वशासी संस्था एवं प्राच्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन म.य.चि. इन्दौर।
7. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित सहायक –प्राच्यापक की ओर।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शा.स्व.म.गौ.समृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर